

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/434/

जबलपुर, दिनांक 03/01/2020

श्रीमती रत्ना उइके खान, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को न्यायिक शाखा के किमिनल अपील अनुभाग में डीलिंग असिस्टेंट-7 के पद पर कार्यरत रहते हुये प्रकरण किमिनल अपील क्रमांक 4761/2019 में माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 06.11.2019, जिसके द्वारा प्रकरण का परीक्षण कर उपयुक्त बेंच के समक्ष सूचीबद्ध करने हेतु आदेशित किया गया था, की अवहेलना करते हुये प्रकरण का परीक्षण किये बिना पुनः दिनांक 13.11.2019 को सिंगल बेंच के समक्ष त्रुटिपूर्ण सूचीबद्ध करने के फलस्वरूप सेवा अभिलेख में दर्ज न करने योग्य चेतावनी (Non-recordable warning) दी जाती है कि अपने कर्तव्य के प्रति अत्यधिक सजग रहें एवं भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि होने पर उसे गंभीरता से लिया जावेगा।

(मनोज कुमार श्रीवास्तव)
प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (न्यायिक)

for

पृष्ठांकन क्रमांक C/435/

जबलपुर, दिनांक 03/01/2020

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार प्रशासन/आई.एल./न्यायिक 1 एवं 2, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
 2. एस.पी.एस.ए. आई.टी. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर आदेश की प्रति उच्च न्यायालय म.प्र. की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु,
 3. रजिस्ट्रार (एम.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 4. असिस्टेंट रजिस्ट्रार (ई.) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
 5. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 6. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्था./न्या. उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
 7. सहायक स्थापना/सेवा पुस्तिका, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर, म.प्र.
 8. ऑफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 9. श्रीमती रत्ना उइके खान, जूनियर, जुडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर, म.प्र.
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(दीपेश तिवारी)
रजिस्ट्रार (न्या.-दो)
for